उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़
उद्योग भवन, रिंग रोड नं0 1, तेलीबांधा, रायपुर
(औद्योगिक नीति प्रकोष्ठ)

क्रमांक– 22/औ.नीति/2015/ 8462-89 रायपुर, दिनांक 22 MAY 2015

प्रति,

1– संयुक्त संचालक,
राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, रायपुर ।

2– मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
.... (समस्त)

विषयः– औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन बावत् औद्योगिक नीति 2014–19 अथवा औद्योगिक नीति 2009–14 का विकल्प लेने बावत्।

उपरोक्त विषय में विभागीय ओदश क्रमांक एफ 20–27/2015/11/(6) दिनांक 18.05.2015 की प्रति संलग्न है। अतः विभागीय आदेश की परिधि में आने वाले उद्योगों से विषयांकित विकल्प लेने बाबत् निम्नानुसार कार्यवाही की जावे –

(1)– विभागीय आदेश की परिधि में आने वाले समस्त पात्र उद्योगों से शासन के पत्र के साथ संलग्न प्रारूप अनुसार "विकल्प पत्र" लेने हेतु पंजीयन डाक से/स्पीड पोस्ट से पत्र प्रेषित किया जावे। विकल्प पत्र के साथ औद्योगिक इकाई द्वारा औद्योगिक नीति 2009–14/औद्योगिक नीति 2014–19 के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान, छूट व रियायतें की जानकारी हेतु परिशिष्ट–1 अनुसार घोषणा पत्र भी लिया जावे। (औद्योगिक इकाईयों को आपके कार्यालय से जारी किये जाने वाले पत्र प्रारूप की प्रति परिशिष्ट–4 पर संलग्न है।)

(2) कार्यालय के नोटिस बोर्ड में विभागीय आदेश, पात्र उद्योगों को प्रेषित किये जाने वाले पत्र, विकल्प पत्र व घोषणा पत्र की प्रति चस्पा की जावे।

(3) जिले के प्रबंधकों/ सहायक प्रबंधकों को भी विकल्प पत्र/ घोषणा की प्रति उपलब्ध करायी जावे जो विभागीय आदेश की परिधि में आने वाले पात्र उद्योगों से विकल्प प्राप्त करेंगे ।

(4) जिले के उद्योग संघों को भी प्रभावी ढंग से विषयांकित बिन्दु की जानकारी दी जावे।

(5) विकल्प संबंधी प्राप्त जानकारी परिशिष्ट–3 अनुसार उद्योग संचालनालय में 10 जुलाई 2015 तक अनिवार्यतः दी जावे।

(6) विकल्प पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 जून 2015 है, अतः इस तिथि तक ही विकल्प प्राप्त किये जावें।

P

–2–

(7) "विकल्प पत्र" शपथ पत्र के रूप में रू. 50 के स्टाम्प पेपर पर लिया जावे।

(8) विकल्प पत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति देने हेतु किसी अधिकारी को अधिकृत करें, अधिकृत अधिकारी द्वारा परिशिष्ट–2 अनुसार विकल्प प्राप्ति की अभिस्वीकृति दी जावे, अभिस्वीकृति की एक प्रति कार्यालयीन रिकार्ड में रखी जावे व विकल्प संबंधी पंजी परिशिष्ट–3 अनुसार संधारित किया जावे।

(8) सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों, मध्यम–वृहद उद्योगों के प्रकरणों में विकल्प संबंधित जिले के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधकों द्वारा लिया जावेगा तथा मेगा प्रोजेक्ट तथा अति वृहद से संबंधित प्रकरणों में विकल्प राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड में लिये जावेंगे।

(9) विभागीय आदेश की परिधि में आने वाले उद्योगों से औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन से संबंधित प्रकरणों में विकल्प पत्र को अनिवार्य रूप से लिया जाकर यह सुनिश्चित किया जावे कि समस्त संभावित पात्र उद्योगों को सूचना प्राप्त हो जावे।

(10) विकल्प संबंधी बिन्दु पर किसी विवाद पर उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग का निर्णय अंतिम होगा।

संलग्नः
1. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का आदेश क्रमांकएफ 20–27/2015/11/(6) दिनांक 18.05.2015 की प्रति ।
2. विकल्प पत्र
3. घोषणा पत्र
4. परिशिष्ट– 1 से 4 तक

Khoel
21-05-2015
संचालक उद्योग

पृ0 क्रमांक– 22/औ.नीति/2015/8490-509 रायपुर, दिनांक 22 MAY 2015

प्रतिलिपिः–

1– प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर।

2– अपर संचालक/ संयुक्त संचालक/ उप संचालक/सहायक संचालक, (समस्त उद्योग संचालनालय, रायपुर।

3– कक्ष प्रभारी, समस्त वित्तीय सहायता कक्ष, रायपुर ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

4– राज्य के समस्त औद्योगिक संगठन, अध्यक्ष .... को एक प्रति के साथ सूचनार्थ । कृपया विषयांकित बिन्दु के सम्पूर्ण सेट की छायाप्रति कर समस्त औद्योगिक इकाईयों को देवें।

संयुक्त संचालक

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी–भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 20–27/2015/11/(6) रायपुर दिनांक 18.05.2015

प्रति,

संचालक उद्योग,
उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़,
रायपुर ।

विषयः– औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन बाबत् औद्योगिक नीति 2014–19 अथवा औद्योगिक नीति 2009–14 का विकल्प लेने बाबत् ।

उपरोक्त विषय में राज्य सरकार की औद्योगिक नीति 2014–19 (दिनांक 01 नवम्बर 2014 से प्रभावी) के बिन्दु क्रमांक 15.19 में निम्नानुसार प्रावधान है :–

"जिन सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद औद्योगिक इकाईयों, मेगा प्रोजेक्ट तथा अति वृहद/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स उद्योगों ने नियत दिनांक 01.11.2014 के पूर्व उद्योग स्थापना हेतु वैध ई.एम. पार्ट –1/आई.ई.एम./आशय पत्र/औद्योगिक लायसेन्स धारित किया हो **अथवा** राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. निष्पादित किया हो एवं एमओयू जीवित हो किंतु औद्योगिक नीति 2009–2014 की कालावधि समाप्त होने के दिनांक 31 अक्टूबर 2014 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया हो, उन्हें 31 अक्टूबर 2015 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर औद्योगिक नीति 2009–2014 में प्रावधानित अनुदान/छूट/रियायतें प्राप्त करने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा ।"

उपरोक्त प्रावधान को लागू करने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था लागू की जाती है :–

जो औद्योगिक इकाईयॉ औद्योगिक नीति 2009–14 की कालावधि (दिनांक 01.11.2009 से 31.10.2014 की अवधि) में वैध ई.एम. पार्ट–1/आई.ई.एम./आशय पत्र/औद्योगिक लायसेंस धारित हैं या राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. निष्पादित किया है व वैध है किन्तु 31 अक्टूबर 2014 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ है उनसे संलग्न प्रारूप में विकल्प लिया जावे ।

2– विकल्प संबंधी पत्र पर औद्योगिक इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए ।

3– एक बार लिया गया विकल्प अंतिम होगा एवं इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

4– विकल्प औद्योगिक नीति 2014–19 अथवा औद्योगिक नीति 2009–14 के अंतर्गत वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात देय अनुदान, छूट एवं रियायतों पर समग्र रूप से लागू होगा अर्थात् किसी औद्योगिक इकाई ने औद्योगिक नीति 2009–14 का विकल्प लिया है तो उन्हें औद्योगिक नीति 2009–14 में पात्रता अनुसार प्रावधानित समस्त अनुदान, छूट एवं रियायतें प्राप्त होंगी एवं यदि किसी औद्योगिक इकाई ने औद्योगिक नीति

18 MAY 2015

596 दि 19.05.15

2014–19 का विकल्प लिया है तो उन्हें औद्योगिक नीति 2014–19 में पात्रता अनुसार प्रावधानित समस्त अनुदान, छूट एवं रियायतें प्राप्त होंगी।

5– आंशिक विकल्प (कुछ अनुदान, छूट, रियायतें औद्योगिक नीति 2009–14 की एवं कुछ अनुदान, छूट, रियायतें औद्योगिक नीति 2014–19 की) स्वीकार नहीं किया जावे ।

6– जिन पात्र उद्योगों ने औद्योगिक नीति 2009–14 का विकल्प लिया है एवं वे उद्योग 31 अक्टूबर 2015 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं कर सके हैं व इस तिथि के पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करते हैं, तो उन्हें औद्योगिक नीति 2014–19 में घोषित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अनुदान, छूट एवं रियायतों की पात्रता होगी किन्तु उन्हें औद्योगिक नीति 2009–14 एवं औद्योगिक नीति 2014–19 में दी जाने वाली अनुदान, छूट एवं रियायतों के अंतर की राशि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तत्समय में लागू पी0एल0आर0 की दर से निर्धारित ब्याज के साथ जमा करना होगा अन्यथा भू–राजस्व के सदृश्य वसूली की जा सकेगी । छूट की अवधि से संबंधित प्रकरणों में समायोजन किया जा सकेगा ।

7– उपरोक्तानुसार औद्योगिक नीति 2009–14 अथवा 2014–19 का विकल्प पत्र इकाईयों द्वारा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 जून 2015 होगी, तत्पश्चात् विकल्प प्रस्तुतिकरण का प्रावधान लागू नहीं रहेगा एवं इकाई के प्रकरणों पर तत्समय प्रवृत्त नियमावली के अनुरूप कार्यवाही की जावे।

(सुबोध कुमार सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

विकल्प–पत्र
(औद्योगिक नीति 2014–19 के बिन्दु क्रमांक 15.19 के तहत्)

प्रति,

उद्योग आयुक्त/संचालक,
उद्योग संचालनालय, रायपुर/
मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, ... ।

विषयः– औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन बाबत् औद्योगिक नीति 2014–19 अथवा औद्योगिक नीति 2009–14 का विकल्प लेने बाबत् ।

विकल्प–पत्र
(औद्योगिक नीति 2014–19 के बिन्दु क्रमांक 15.19 के तहत्)

मैं .... आत्मज .... प्रोपायटर/साझेदार/संचालक/सदस्य/अधिकृत प्रतिनिधि ....घोषित करता हूँ कि –

1– औद्योगिक नीति 2014–19 के बिन्दु क्रमांक 15.19 का अध्ययन कर लिया है ।

2 (अ) औद्योगिक नीति 2014–19 के प्रावधान बिन्दु क्रमांक 15.19 के संदर्भ में औद्योगिक इकाई .... द्वारा औद्योगिक नीति 2009–14 में प्रावधानित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अनुदान, छूट, रियायतों का विकल्प लिया जाता है ।

<u>**या**</u>

(ब) औद्योगिक नीति 2014–19 के प्रावधान बिन्दु क्रमांक 15.19 के संदर्भ में औद्योगिक इकाई .... द्वारा औद्योगिक नीति 2014–19 में प्रावधानित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अनुदान, छूट, रियायतों का विकल्प लिया जाता है ।

3– यदि बिन्दु क्रमांक 2(अ) के तहत लिये गये विकल्प के तहत औद्योगिक इकाई द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर 2015 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया जाता है व इस तिथि के पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करते हैं, तो औद्योगिक नीति 2014–19 में घोषित अनुदान, छूट एवं रियायतें प्रदान की जावे । इस हेतु यह भी शपथ पत्र दिया जाता है कि औद्योगिक नीति 2009–14 के आधार पर लिये गये अनुदान/रियायत/छूट के अंतर की राशि का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तत्समय में लागू पी0एल0आर0 की दर से निर्धारित ब्याज के साथ किया जायेगा ।

4– यह भी शपथपूर्वक घोषित किया जाता है कि औद्योगिक नीति 2009–14 अनुसार विकल्प लिये जाने पर यदि दिनांक 31–10–2015 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया जाता है/पश्चात्वर्ती अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होता है तथा उद्योग औद्योगिक नीति 2014–19 में संतृप्त श्रेणी के उद्योगों में सम्मिलित हैं तो औद्योगिक नीति

2009–14 में प्रावधानित अनुदान/छूट/रियायतें प्राप्त की है, उनके बराबर राशि व भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तत्समय में लागू पी0एल0आर0 की दर से निर्धारित ब्याज के साथ जमा किया जायेगा ।

5– छूट की अवधि से संबंधित प्रकरणों में अंतर की अवधि का समायोजन / संशोधन किये जाने की सहमति दी जाती है ।

स्थान :
दिनांकः

हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता
सील

परिशिष्ट–1

घोषणा पत्र
(औद्योगिक नीति 2014–19 के बिन्दु क्रमांक 15.19 के तहत्)

(औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन बाबत् औद्योगिक नीति 2014–19 अथवा औद्योगिक नीति 2009–14 का विकल्प लेने बाबत् ।)

मैं .... आत्मज .... प्रोपराईटर / साझेदार/ संचालक/ सदस्य/ अधिकृत प्रतिनिधि मेसर्स .... घोषित करता हूँ कि हमारी इकाई को उद्योग संचालनालय/ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से निम्नानुसार अनुदान/ छूट/ रियायतें प्राप्त की है :–

(1) औद्योगिक नीति 2009–14 के अन्तर्गत

क्र.	अनुदान/ छूट / रियायत का विवरण	स्वीकृत अनुदान राशि/ स्वीकृत छूट प्रमाण पत्र की अवधि	स्वीकृति आदेश का विवरण	प्राप्त अनुदान का विवरण
1	2	3	4	5

(2) औद्योगिक नीति 2014–19 के अन्तर्गत

क्र.	अनुदान/ छूट / रियायत का विवरण	स्वीकृत अनुदान राशि/ स्वीकृत छूट प्रमाण पत्र की अवधि	स्वीकृति आदेश का विवरण	प्राप्त अनुदान का विवरण
1	2	3	4	5

उपरोक्त जानकारी सही व सत्य है, जानकारी सही/ सत्य नहीं होने पर विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही मुझे स्वीकार्य है।

हस्ताक्षर
नाम
इकाई का नाम व पता
सील

परिशिष्ट–2

औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन बाबत् औद्योगिक नीति 2014–19 अथवा औद्योगिक नीति 2009–14 का विकल्प लेने बाबत् आवेदन की अभिस्वीकृति ।

मेसर्स .... पता .... जिसके पक्ष में जारी ई.एम. पार्ट–1 का क्रमांक .... दिनांक .... है तथा जारी ई.एम. पार्ट–2 का क्रमांक .... दिनांक .... है । स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/ वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक .... दिनांक .... है, ने विषयांकित बिन्दु पर औद्योगिक नीति 2014–19/ औद्योगिक नीति 2009–14 का विकल्प लेने हेतु दिनांक .... को आवेदन किया है ।

या

मेसर्स .... पता .... जिसके पक्ष में उद्योग विभाग/ उर्जा विभाग द्वारा दिनांक .... को एम.ओ.यू. निष्पादित किया है तथा जिनके पक्ष में उद्योग संचालनालय द्वारा ज्ञाप क्रमांक .... दिनांक .... के द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किया गया है, ने विषयांकित बिन्दु पर औद्योगिक नीति 2014–19/ 2009–14 का विकल्प लेने हेतु दिनांक .... को आवेदन किया है ।

स्थान –
दिनांक –

2

हस्ताक्षर
पद
कार्यालय सील

परिशिष्ट–3

औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन बाबत् औद्योगिक नीति 2014–19 अथवा औद्योगिक नीति 2009–14 का विकल्प लेने बाबत् पंजी ।

(सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तथा मध्यम, वृहद उद्योग)

क्र.	इकाई का नाम व पता	आई.ई.एम. / ई.एम. पार्ट–1 का क्रमांक व दिनांक	ई.एम. पार्ट–2 का क्रमांक व दिनांक	उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक व दिनांक	वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक	इकाई द्वारा लिया गया विकल्प (औद्योगिक नीति 2014–19 अथवा औद्योगिक नीति 2009–14)	विकल्प का आवेदन दिनांक	औद्योगिक इकाई को दी गयी अनुदान, छूट व रियायतें (1)औद्योगिक नीति 2014–19 के अन्तर्गत 1. 2. 3. (2)औद्योगिक नीति 2009–14 के अन्तर्गत 1. 2. 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, ...

(मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स)

क्र.	इकाई का नाम व पता	आई.ई.एम. का क्रमांक व दिनांक	एम.ओ.यू. निष्पादन का दिनांक	उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक व दिनांक	वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक	इकाई द्वारा लिया गया विकल्प (औद्योगिक नीति 2014–19 अथवा औद्योगिक नीति 2009–14)	विकल्प का आवेदन दिनांक	औद्योगिक इकाई को दी गयी अनुदान, छूट व रियायतें (1) औद्योगिक नीति 2014–19 के अन्तर्गत 1. 2. 3. (2) औद्योगिक नीति 2009–14 के अन्तर्गत 1. 2. 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

संयुक्त संचालक
राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, रायपुर

परिशिष्ट–4

कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,/राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड
(औद्योगिक नीति प्रकोष्ठ)

क्रमांक– /औ.नी./2015/ रायपुर, दिनांक

प्रति,

....
....
....
....

विषय :–औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन बाबत् औद्योगिक नीति 2009–14 अथवा औद्योगिक नीति 2004–09 का विकल्प लेने बाबत् ।

उपरोक्त विषय में औद्योगिक नीति 2014–19 के अन्तर्गत बिन्दु क्रमांक 15.19 में निम्नानुसार प्रावधान है ।

"जिन सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद औद्योगिक इकाईयों, मेगा प्रोजेक्ट तथा अति वृहद/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स उद्योगों ने नियत दिनांक 01.11.2014 के पूर्व उद्योग स्थापना हेतु वैध ई.एम. पार्ट –1 / आई.ई.एम./ आशय पत्र / औद्योगिक लायसेन्स धारित किया हो **अथवा** राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. निष्पादित किया हो एवं एमओयू जीवित हो किंतु औद्योगिक नीति 2009–2014 की कालावधि समाप्त होने के दिनांक 31 अक्टूबर 2014 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया हो, उन्हें 31 अक्टूबर 2015 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर औद्योगिक नीति 2009–2014 में प्रावधानित अनुदान/ छूट/ रियायतें प्राप्त करने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा ।"

(2)– उपरोक्त प्रावधान के क्रियान्वयन हेतु में संलग्न अनुसार "विकल्प पत्र" शीघ्र देवे, विकल्प पत्र प्रस्तुत करने की **अंतिम तिथि 30 जून 2015** है । इस तिथि के पश्चात् विषयांकित बिन्दु पर आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगें।

विकल्प पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय निम्नांकित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जावें ।

2.1– विकल्प पत्र पर इकाई स्वामी/साझेदार/संचालक/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर इकाई की सील सहित होना चाहिये ।

2.2– एक बार लिया गया विकल्प अंतिम होगा एवं इसमें किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा ।

2.3– विकल्प औद्योगिक नीति 2014–19 अथवा औद्योगिक नीति 2009–14 के अन्तर्गत वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात् देय अनुदान, छूट एवं रियायतें पर समग्र रूप से लागू होगा अर्थात् किसी औद्योगिक इकाई ने औद्योगिक नीति 2009–14 का विकल्प लिया है तो उन्हें औद्योगिक नीति 2009–14 में पात्रता अनुसार प्रावधानित

समस्त अनुदान, छूट एवं रियायतें प्राप्त होगी एवं यदि किसी औद्योगिक इकाई ने औद्योगिक नीति 2014–19 का विकल्प लिया है तो उन्हें औद्योगिक नीति 2014–19 में पात्रता अनुसार प्रावधानित समस्त अनुदान, छूट एवं रियायतें प्राप्त होंगी ।

2.4– आंशिक विकल्प (कुछ अनुदान, छूट एवं रियायतें औद्योगिक नीति 2009–14 की एवं कुछ अनुदान, छूट, रियायतें औद्योगिक नीति 2014–19 की) स्वीकार नहीं किया जावेगा ।

2.5– जिन पात्र उद्योगों ने औद्योगिक नीति 2009–14 का विकल्प लिया है एवं वे उद्योग 31 अक्टूबर 2015 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं कर सके हैं व इस तिथि के पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करते हैं, तो उन्हें औद्योगिक नीति 2014–19 में घोषित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अनुदान, छूट एवं रियायतों की पात्रता होगी किन्तु उन्हें औद्योगिक नीति 2009–14 एवं औद्योगिक नीति 2014–19 में दी जाने वाली अनुदान, छूट एवं रियायतों के अंतर की राशि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तत्समय में लागू पी0एल0आर0 की दर से निर्धारित ब्याज के साथ जमा करना होगा अन्यथा भू–राजस्व के सदृश्य वसूली की जा सकेगी । छूट की अवधि से संबंधित प्रकरणों में समायोजन किया जा सकेगा ।

संलग्नः– विकल्प पत्र एवं घोषणा पत्र की प्रति।

संयुक्त संचालक,
राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड,
रायपुर

मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
....